CRPF Rules, 1955 – Discipline
(सीआरपीएफ नियम, 1955 – अनुशासन)

1. How many punishments are listed in the punishment table under Rule 27? / नियम 27 की दंड तालिका में कितने दंड दिए गए हैं?
 (a) 9 **(b) 11**
 (c) 13 (d) 7
2. Who has the power to dismiss or remove a Subedar (Inspector) from the Force? / सूबेदार (इंस्पेक्टर) को बल से बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार किसके पास है?
 (a) The Inspector General of Police / पुलिस महानिरीक्षक
 (b) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
 (c) The Commandant / कमांडेंट
 (d) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
3. Who has the power to dismiss or remove a Constable from the Force? / कांस्टेबल को बल से बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार किसके पास है?
 (a) The Inspector General of Police / पुलिस महानिरीक्षक
 (b) The Commandant / कमांडेंट
 (c) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
 (d) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
4. Who has the power to dismiss or remove a Sub-Inspector from the Force? / सब-इंस्पेक्टर को बल से बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार किसके पास है?
 (a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
 (b) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
 (c) Any Gazetted Officer / कोई भी राजपत्रित अधिकारी
 (d) The Commandant / कमांडेंट
5. What is the highest fine that can be given as a punishment under Rule 27? / नियम 27 के तहत दंड के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
 (a) One month's pay and allowance / एक माह का वेतन और भत्ता
 (b) Two months' pay and allowance / दो माह का वेतन और भत्ता
 (c) Half a month's pay and allowance / आधे माह का वेतन और भत्ता
 (d) Three months' pay and allowance / तीन माह का वेतन और भत्ता
6. Item 6 of the punishment table under Rule 27 allows confinement in the Quarter Guard for more than seven days but up to how many days? / नियम 27 की दंड तालिका के क्रम 6 में क्वार्टर गार्ड में सात दिन से ज़्यादा और अधिकतम कितने दिन की बंदी दी जा सकती है?
 (a) 10 days / 10 दिन **(b) 20 days / 20 दिन**
 (c) 30 days / 30 दिन (d) 15 days / 15 दिन
7. Item 10 of the punishment table under Rule 27 allows confinement to the Quarter Guard for up to how many days? / नियम 27 की दंड तालिका के क्रम 10 में क्वार्टर गार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन की बंदी दी जा सकती है?
 (a) 14 days / 14 दिन (b) 20 days / 20 दिन
 (c) 10 days / 10 दिन **(d) 7 days / 7 दिन**
8. Which punishments in the table under Rule 27 can be given only after a formal departmental enquiry? / नियम 27 की तालिका के कौन से दंड केवल औपचारिक विभागीय जाँच के बाद ही दिए जा सकते हैं?
 (a) Items 1 to 7 / क्रम 1 से 7 तक
 (b) Items 8 to 11 / क्रम 8 से 11 तक
 (c) Items 1 to 5 / क्रम 1 से 5 तक
 (d) All eleven items / सभी ग्यारह क्रम
9. How long before the enquiry starts must the accused be given a copy of the charge? / जाँच शुरू होने से कितने समय पहले आरोपी को आरोप की कॉपी देनी होती है?
 (a) At least 24 hours before / कम से कम 24 घंटे पहले
 (b) At least 72 hours before / कम से कम 72 घंटे पहले
 (c) At least 48 hours before / कम से कम 48 घंटे पहले
 (d) At least seven days before / कम से कम सात दिन पहले
10. What is the least time the accused must be given to submit his written statement and list of witnesses? / लिखित बयान और गवाहों की सूची देने के लिए आरोपी को कम से कम कितना समय देना ज़रूरी है?
 (a) A fortnight / पंद्रह दिन
 (b) A month / एक माह
 (c) A week / एक सप्ताह
 (d) Two days / दो दिन

11. Who can decide that, for the security of the State, it is not suitable to hold an enquiry? / राज्य की सुरक्षा के लिए जाँच कराना ठीक नहीं है, यह कौन तय कर सकता है?
(a) The Commandant / कमांडेंट
(b) The Inspector General / महानिरीक्षक
(c) The Director General / महानिदेशक
(d) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक

12. If a member of the Force has been tried and acquitted by a criminal court, whose prior approval is needed to punish him departmentally on the same charge? / अगर बल का कोई सदस्य आपराधिक अदालत से बरी हो चुका है, तो उसी आरोप पर उसे विभागीय दंड देने के लिए किसकी पहले से मंज़ूरी चाहिए?
(a) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(b) The Inspector General / महानिरीक्षक
(c) The Central Government / केंद्र सरकार
(d) The Director General / महानिदेशक

13. Under Rule 27A, a member of the Force can be put under suspension while what is pending? / नियम 27क के तहत बल के सदस्य को किस बात के लंबित रहते निलंबित किया जा सकता है?
(a) His medical examination / उसकी डॉक्टरी जाँच
(b) His transfer to another Battalion / उसका दूसरी बटालियन में तबादला
(c) An enquiry into any serious misconduct against him / उसके खिलाफ किसी गंभीर कदाचार की जाँच
(d) The approval of his leave / उसकी छुट्टी की मंज़ूरी

14. Who has the power to suspend a Subedar (Inspector)? / सूबेदार (इंस्पेक्टर) को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है?
(a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(b) The Commandant / कमांडेंट
(c) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(d) The Subedar Major / सूबेदार मेजर

15. Against orders under which items of the punishment table under Rule 27 can an appeal be made? / नियम 27 की दंड तालिका के किन क्रमों के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है?
(a) All the eleven serial numbers / सभी ग्यारह क्रम संख्या
(b) Serial numbers 8 to 11 / क्रम संख्या 8 से 11 तक
(c) Serial numbers 1 to 5 / क्रम संख्या 1 से 5 तक
(d) Serial numbers 1 to 7 / क्रम संख्या 1 से 7 तक

16. How many appeals can a subordinate officer make against a punishment order? / कोई अधीनस्थ अधिकारी दंड आदेश के खिलाफ कितनी अपील कर सकता है?
(a) Three / तीन
(b) One / एक
(c) As many as he likes / जितनी चाहे
(d) Two / दो

17. If the original punishment order was passed by the Deputy Inspector General, to whom is the appeal made? / अगर मूल दंड आदेश उप महानिरीक्षक ने दिया हो, तो अपील किसे की जाती है?
(a) The Director General / महानिदेशक
(b) The Inspector General / महानिरीक्षक
(c) The Central Government / केंद्र सरकार
(d) The Commandant / कमांडेंट

18. If the original punishment order was passed by the Commandant, to whom is the appeal made? / अगर मूल दंड आदेश कमांडेंट ने दिया हो, तो अपील किसे की जाती है?
(a) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(b) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(c) The Director General / महानिदेशक
(d) The Inspector General / महानिरीक्षक

19. Within how many days of the original order must an appeal be filed? / मूल आदेश के कितने दिन के अंदर अपील दाखिल करनी होती है?
(a) 60 days / 60 दिन (b) 45 days / 45 दिन
(c) 30 days / 30 दिन (d) 15 days / 15 दिन

20. How often, and to whom, must the Commandant send a statement of all appeals held back? / कमांडेंट को रोकी गई सभी अपीलों का ब्योरा कितने समय में और किसे भेजना होता है?
(a) Every half year, to the Central Government / हर छह महीने में, केंद्र सरकार को
(b) Every month, to the Inspector General / हर महीने, महानिरीक्षक को
(c) Every year, to the Director General / हर साल, महानिदेशक को
(d) Every quarter, to the Deputy Inspector General / हर तीन महीने में, उप महानिरीक्षक को

21. Within how many days from the start of desertion, absence or overstaying leave must the absentee return or be caught? / भगोड़ेपन, गैर-हाज़िरी या छुट्टी से ज़्यादा रुकने की शुरुआत से कितने

दिन के अंदर गैर-हाज़िर सदस्य को लौटना या पकड़ा जाना चाहिए?

(a) Sixty days / साठ दिन
(b) Twenty-one days / इक्कीस दिन
(c) Thirty days / तीस दिन
(d) Ninety days / नब्बे दिन

22. Who sets up the Court of Inquiry in a case of desertion or long absence? / भगोड़ेपन या लंबी गैर-हाज़िरी के मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कौन बैठाता है?

(a) The Commandant / कमांडेंट
(b) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(c) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(d) The Subedar Major / सूबेदार मेजर

23. From which date is an absentee declared a deserter from the Force? / गैर-हाज़िर सदस्य को किस तारीख से बल का भगोड़ा घोषित किया जाता है?

(a) From the sixtieth day of his absence / उसकी गैर-हाज़िरी के साठवें दिन से
(b) From the date of the Force Order / फोर्स ऑर्डर की तारीख से
(c) From the date of the Court of Inquiry / कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की तारीख से
(d) From the date of his illegal absence / उसकी गैर-कानूनी गैर-हाज़िरी की तारीख से

24. Above what value of loss or damage to arms and ammunition must a Court of Inquiry be set up? / हथियार और गोला-बारूद के नुकसान की कीमत कितने से ऊपर होने पर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठानी होती है?

(a) Rs. 1000 / 1000 रुपये
(b) Rs. 2000 / 2000 रुपये
(c) Rs. 100 / 100 रुपये
(d) Rs. 500 / 500 रुपये

25. Above what value of loss or damage to other Government property must a Court of Inquiry be set up? / दूसरी सरकारी संपत्ति के नुकसान की कीमत कितने से ऊपर होने पर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठानी होती है?

(a) Rs. 1000 / 1000 रुपये
(b) Rs. 2000 / 2000 रुपये
(c) Rs. 100 / 100 रुपये
(d) Rs. 500 / 500 रुपये

26. Up to what value of loss or damage can the Commandant himself order it to be written off? / कितनी कीमत तक के नुकसान को कमांडेंट खुद बट्टे खाते में डालने का आदेश दे सकता है?

(a) Rs. 100 / 100 रुपये
(b) Rs. 500 / 500 रुपये
(c) Rs. 2000 / 2000 रुपये
(d) Rs. 1000 / 1000 रुपये

27. Who can order the writing off of a loss above Rs. 1000 but not above Rs. 2000? / 1000 रुपये से ज़्यादा पर 2000 रुपये तक के नुकसान को बट्टे खाते में डालने का आदेश कौन दे सकता है?

(a) The Commandant / कमांडेंट
(b) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
(c) The Inspector General of Police / पुलिस महानिरीक्षक
(d) The Director General / महानिदेशक

28. Where are persons sentenced to imprisonment under the Act normally kept? / अधिनियम के तहत कैद की सज़ा पाए लोग आम तौर पर कहाँ रखे जाते हैं?

(a) In the Battalion lines / बटालियन लाइन में
(b) In the Quarter Guard of the Force / बल के क्वार्टर गार्ड में
(c) In the nearest jail / सबसे पास की जेल में
(d) In the district police lock-up / जिला पुलिस हवालात में

29. A person sentenced to imprisonment for how long can be kept in the Quarter Guard of the Force? / कितनी कैद की सज़ा पाए व्यक्ति को बल के क्वार्टर गार्ड में रखा जा सकता है?

(a) One month or less / एक माह या उससे कम
(b) One year or less / एक साल या उससे कम
(c) Three months or less / तीन माह या उससे कम
(d) Six months or less / छह माह या उससे कम

30. Which languages can a Commandant or an Assistant Commandant use while using the powers of a Magistrate? / मजिस्ट्रेट के अधिकार इस्तेमाल करते समय कमांडेंट या सहायक कमांडेंट कौन सी भाषा इस्तेमाल कर सकता है?

(a) Only English / केवल अंग्रेज़ी
(b) Only Hindi / केवल हिंदी
(c) Any regional language of the State / राज्य की कोई भी क्षेत्रीय भाषा
(d) Either English or Hindi / अंग्रेज़ी या हिंदी

31. After giving notice to the Commandant, for how long must the Magistrate wait? / कमांडेंट को नोटिस देने के बाद मजिस्ट्रेट को कितने समय तक रुकना होता है?

(a) Twenty-one days / इक्कीस दिन
(b) Fifteen days / पंद्रह दिन
(c) Thirty days / तीस दिन
(d) Sixty days / साठ दिन

32. On whom can the punishments in the table under Rule 27 be given? / नियम 27 की तालिका के दंड किन पर दिए जा सकते हैं?
(a) On non-Gazetted Officers and men of all ranks / अराजपत्रित अधिकारियों और सभी रैंक के जवानों पर
(b) On Gazetted Officers only / केवल राजपत्रित अधिकारियों पर
(c) On recruits only / केवल रंगरूटों पर
(d) On enrolled followers only / केवल भर्ती फॉलोअर पर

33. Which punishment is at item 1 of the punishment table under Rule 27? / नियम 27 की दंड तालिका में क्रम 1 पर कौन सा दंड है?
(a) Stoppage of increment / वेतन वृद्धि रोकना
(b) Dismissal or removal from the Force / बल से बर्खास्त करना या हटाना
(c) Compulsory retirement / अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(d) Censure / निंदा

34. On which ranks can confinement in the Quarter Guard for more than seven days and up to 20 days be given? / क्वार्टर गार्ड में सात दिन से ज़्यादा और 20 दिन तक की बंदी किन रैंकों को दी जा सकती है?
(a) Sub-Inspectors only / केवल सब-इंस्पेक्टर
(b) All ranks up to Inspector / इंस्पेक्टर तक की सभी रैंक
(c) Constables and enrolled followers / कांस्टेबल और भर्ती फॉलोअर
(d) Subedars (Inspectors) only / केवल सूबेदार (इंस्पेक्टर)

35. Who can give confinement in the Quarter Guard for more than seven days and up to 20 days? / क्वार्टर गार्ड में सात दिन से ज़्यादा और 20 दिन तक की बंदी कौन दे सकता है?
(a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(b) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Subedar Major / सूबेदार मेजर

36. Who can give censure to a Subedar (Inspector) or a Sub-Inspector? / सूबेदार (इंस्पेक्टर) या सब-इंस्पेक्टर को निंदा का दंड कौन दे सकता है?
(a) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
(b) The Commandant / कमांडेंट
(c) The Inspector General of Police / पुलिस महानिरीक्षक
(d) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट

37. Who can give censure to a Constable or an enrolled follower? / कांस्टेबल या भर्ती फॉलोअर को निंदा का दंड कौन दे सकता है?
(a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(b) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक

38. Who can order stoppage of increment of a Sub-Inspector? / सब-इंस्पेक्टर की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कौन दे सकता है?
(a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(b) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक

39. Who can order compulsory retirement of a Constable? / कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कौन दे सकता है?
(a) The Inspector General of Police / पुलिस महानिरीक्षक
(b) The Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट

40. When the post of Deputy Inspector General stays vacant for more than one month at a time, who uses the power to punish Subedars and Sub-Inspectors? / जब उप महानिरीक्षक का पद एक बार में एक माह से ज़्यादा खाली रहे, तो सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर को दंड देने का अधिकार कौन इस्तेमाल करता है?
(a) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(b) The Commandant / कमांडेंट
(c) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(d) The Inspector General / महानिरीक्षक

41. When the Commandant uses the punishing powers of the Deputy Inspector General, which power does he not get? / उप महानिरीक्षक के दंड अधिकार इस्तेमाल करते समय कमांडेंट को कौन सा अधिकार नहीं मिलता?
(a) Power to order dismissal or removal from the Force / बल से बर्खास्त करने या हटाने का आदेश देने का अधिकार
(b) Power to order stoppage of increment / वेतन वृद्धि रोकने का आदेश देने का अधिकार
(c) Power to give censure / निंदा का दंड देने का अधिकार

(d) Power to order compulsory retirement / अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने का अधिकार

42. When the post of Commandant stays vacant for more than one month at a time, who uses his powers of punishment? / जब कमांडेंट का पद एक बार में एक माह से ज़्यादा खाली रहे, तो उसके दंड अधिकार कौन इस्तेमाल करता है?
(a) The Quarter Master / क्वार्टर मास्टर
(b) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(c) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(d) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट

43. When the Assistant Commandant uses the punishing powers of the Commandant, which power does he not get? / कमांडेंट के दंड अधिकार इस्तेमाल करते समय सहायक कमांडेंट को कौन सा अधिकार नहीं मिलता?
(a) Power to order dismissal or removal from the Force / बल से बर्खास्त करने या हटाने का आदेश देने का अधिकार
(b) Power to order confinement to the Quarter Guard / क्वार्टर गार्ड में बंदी का आदेश देने का अधिकार
(c) Power to give censure / निंदा का दंड देने का अधिकार
(d) Power to give a fine / जुर्माना लगाने का अधिकार

44. What effect does dismissal from the Force have on a member's future service? / बल से बर्खास्त होने का सदस्य की आगे की नौकरी पर क्या असर पड़ता है?
(a) It has no effect on future service / आगे की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता
(b) He cannot serve only in the State Police / वह केवल राज्य पुलिस में नौकरी नहीं कर सकता
(c) He cannot be employed again in Government service / उसे दोबारा सरकारी नौकरी में नहीं रखा जा सकता
(d) He cannot take any private job / वह कोई निजी नौकरी नहीं कर सकता

45. What effect does removal from the Force have on a member's future employment? / बल से हटाए जाने का सदस्य की आगे की नौकरी पर क्या असर पड़ता है?
(a) It is a bar to all Government jobs / हर सरकारी नौकरी पर रोक लग जाती है
(b) It is a bar to any job for five years / पाँच साल तक किसी भी नौकरी पर रोक लग जाती है
(c) It is a bar to jobs in any police organisation / किसी भी पुलिस संगठन की नौकरी पर रोक लग जाती है
(d) It is no bar, except for a job in the Central Reserve Police Force / कोई रोक नहीं, केवल केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की नौकरी को छोड़कर

46. Under Rule 27, who normally holds the departmental enquiry against non-Gazetted Officers and men? / नियम 27 के तहत अराजपत्रित अधिकारियों और जवानों के खिलाफ विभागीय जाँच आम तौर पर कौन करता है?
(a) The Commandant / कमांडेंट
(b) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट
(c) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(d) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक

47. Who holds the departmental enquiry when the charge is against a Subedar (Inspector) or a Sub-Inspector? / जब आरोप सूबेदार (इंस्पेक्टर) या सब-इंस्पेक्टर पर हो, तो विभागीय जाँच कौन करता है?
(a) The Commandant himself / खुद कमांडेंट
(b) The Inspector General himself / खुद महानिरीक्षक
(c) The Assistant Commandant himself / खुद सहायक कमांडेंट
(d) An officer named for this purpose by the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक द्वारा इस काम के लिए चुना गया अधिकारी

48. In the case of a Subedar (Inspector) or a Sub-Inspector, for which punishments must the enquiry officer send the proceedings to the Deputy Inspector General? / सूबेदार (इंस्पेक्टर) या सब-इंस्पेक्टर के मामले में किन दंडों के लिए जाँच अधिकारी को कार्यवाही उप महानिरीक्षक को भेजनी होती है?
(a) Punishments at items (1) to (3) only / केवल क्रम (1) से (3) तक के दंड
(b) Punishments at items (8) to (11) / क्रम (8) से (11) तक के दंड
(c) Punishments at items (1) to (5) and (7) / क्रम (1) से (5) तक और (7) के दंड
(d) Punishments at items (6) and (10) only / केवल क्रम (6) और (10) के दंड

49. In a departmental enquiry, in what form is the main accusation put down? / विभागीय जाँच में मुख्य आरोप किस रूप में लिखा जाता है?
(a) An entry in the service roll / सर्विस रोल में एक एंट्री

(b) A written charge, as exact as possible / लिखित आरोप, जो जितना हो सके उतना सही और साफ हो
(c) A note in the Orderly Room Register / ऑर्डरली रूम रजिस्टर में एक नोट
(d) An oral statement before the accused / आरोपी के सामने दिया गया ज़ुबानी बयान

50. Besides giving a copy to the accused, what else is done with the charge? / आरोपी को कॉपी देने के अलावा आरोप के साथ और क्या किया जाता है?
(a) It is sent to the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक को भेजा जाता है
(b) It is put up on the Orderly Room notice board / ऑर्डरली रूम के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है
(c) It is read out to the accused / आरोपी को पढ़कर सुनाया जाता है
(d) It is published in the Force Order / फोर्स ऑर्डर में छापा जाता है

51. What is the accused asked to do at the start of the enquiry? / जाँच शुरू होते ही आरोपी से क्या करने को कहा जाता है?
(a) To hand over his arms and belt / अपने हथियार और बेल्ट जमा करने को
(b) To give a written appeal / लिखित अपील देने को
(c) To name his defence witnesses / अपने बचाव के गवाहों के नाम बताने को
(d) To say whether he is Guilty or Not Guilty / यह बताने को कि वह दोषी है या निर्दोष

52. Evidence taken in a departmental enquiry can be of which two kinds? / विभागीय जाँच में लिया गया सबूत किन दो तरह का हो सकता है?
(a) Oral or circumstantial / ज़ुबानी या हालात पर आधारित
(b) Documentary or expert / दस्तावेज़ी या विशेषज्ञ का
(c) Direct or hearsay / सीधा या सुना-सुनाया
(d) Oral or documentary / ज़ुबानी या दस्तावेज़ी

53. What kind of oral evidence must be taken in a departmental enquiry? / विभागीय जाँच में ज़ुबानी सबूत कैसा होना चाहिए?
(a) It may be hearsay if believable / भरोसे लायक हो तो सुना-सुनाया भी चल सकता है
(b) It must be direct / सीधा होना चाहिए
(c) It must be in writing only / केवल लिखित होना चाहिए
(d) It must be on oath before a Magistrate / मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पर होना चाहिए

54. Who records the oral evidence in a departmental enquiry, and in whose presence? / विभागीय जाँच में ज़ुबानी सबूत कौन लिखता है और किसके सामने?
(a) The enquiry officer himself, in the presence of the accused / जाँच अधिकारी खुद, आरोपी के सामने
(b) The Adjutant, in the presence of the Subedar Major / एडजुटेंट, सूबेदार मेजर के सामने
(c) Any Gazetted Officer, in the presence of two witnesses / कोई भी राजपत्रित अधिकारी, दो गवाहों के सामने
(d) The Orderly Room clerk, in the presence of the Commandant / ऑर्डरली रूम क्लर्क, कमांडेंट के सामने

55. What right does the accused have about the witnesses examined against him? / अपने खिलाफ पेश गवाहों के बारे में आरोपी को क्या अधिकार है?
(a) He can question them only through a lawyer / वह केवल वकील के ज़रिए उनसे सवाल कर सकता है
(b) He can refuse to hear them / वह उन्हें सुनने से मना कर सकता है
(c) He can get them removed from the enquiry / वह उन्हें जाँच से हटवा सकता है
(d) He is allowed to cross-examine them / वह उनसे जिरह कर सकता है

56. When must the accused be allowed to see the exhibits? / आरोपी को प्रदर्श देखने की इजाज़त कब मिलनी चाहिए?
(a) Only after the findings are recorded / केवल निष्कर्ष लिखे जाने के बाद
(b) Only after his statement is recorded / केवल उसका बयान दर्ज होने के बाद
(c) Before he is asked to give his defence / उससे बचाव पेश करने को कहे जाने से पहले
(d) Only after the punishment is given / केवल दंड दिए जाने के बाद

57. If the accused pleads guilty and does not challenge the evidence on record, what happens to the proceedings? / अगर आरोपी दोष मान ले और रिकॉर्ड पर आए सबूत को चुनौती न दे, तो कार्यवाही का क्या होता है?
(a) They are sent to a criminal court / आपराधिक अदालत को भेज दी जाती है
(b) They are kept pending for a fortnight / पंद्रह दिन के लिए रोक दी जाती है
(c) They are started again from the beginning / फिर से शुरू की जाती है

(d) They are closed for orders / आदेश के लिए बंद कर दी जाती है

58. What must an accused who pleads not guilty submit? / दोष न मानने वाले आरोपी को क्या जमा करना होता है?
(a) A revision petition to the Inspector General / महानिरीक्षक को पुनरीक्षण याचिका
(b) A written statement and a list of his defence witnesses / लिखित बयान और अपने बचाव के गवाहों की सूची
(c) An application to transfer the enquiry / जाँच दूसरी जगह भेजने का आवेदन
(d) A written appeal to the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक को लिखित अपील

59. What is done if the accused refuses to give a written statement? / अगर आरोपी लिखित बयान देने से मना कर दे तो क्या किया जाता है?
(a) He is held guilty at once / उसे तुरंत दोषी मान लिया जाता है
(b) The enquiry officer questions him again when the given time is over / दिया गया समय पूरा होने पर जाँच अधिकारी उससे फिर पूछताछ करता है
(c) The enquiry is dropped / जाँच बंद कर दी जाती है
(d) The case is sent to a criminal court / मामला आपराधिक अदालत को भेज दिया जाता है

60. What happens if the accused refuses to name any witness or give any evidence in his defence? / अगर आरोपी अपने बचाव में कोई गवाह या सबूत देने से मना कर दे तो क्या होता है?
(a) The enquiry officer calls the witnesses himself / जाँच अधिकारी खुद गवाह बुलाता है
(b) A new charge is framed / नया आरोप बनाया जाता है
(c) The accused is dismissed at once / आरोपी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है
(d) The proceedings are closed for orders / कार्यवाही आदेश के लिए बंद कर दी जाती है

61. When all relevant evidence has been brought on record, what is done with the proceedings? / जब सारे ज़रूरी सबूत रिकॉर्ड पर आ जाएँ, तो कार्यवाही का क्या किया जाता है?
(a) They are sent to the Inspector General / महानिरीक्षक को भेज दी जाती है
(b) They are closed for orders / आदेश के लिए बंद कर दी जाती है
(c) They are read out to the whole unit / पूरी यूनिट को पढ़कर सुनाई जाती है
(d) They are filed without orders / बिना आदेश के फाइल कर दी जाती है

62. If the Commandant has held the enquiry himself, what does he do? / अगर कमांडेंट ने खुद जाँच की हो, तो वह क्या करता है?
(a) Sends the case to the Assistant Commandant / मामला सहायक कमांडेंट को भेज देता है
(b) Records his findings and passes orders where he has the power / अपने निष्कर्ष लिखता है और जहाँ अधिकार हो वहाँ आदेश देता है
(c) Waits for the orders of the Central Government / केंद्र सरकार के आदेश का इंतज़ार करता है
(d) Sends the case to the Inspector General / मामला महानिरीक्षक को भेज देता है

63. If an officer other than the Commandant has held the enquiry, to whom does he send his report and the proceedings? / अगर कमांडेंट के अलावा किसी और अधिकारी ने जाँच की हो, तो वह अपनी रिपोर्ट और कार्यवाही किसे भेजता है?
(a) To the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक को
(b) To the Adjutant / एडजुटेंट को
(c) To the Commandant / कमांडेंट को
(d) To the Inspector General / महानिरीक्षक को

64. In which case can the competent authority give a penalty without holding an enquiry in the way laid down in the Rules? / किस हालत में सक्षम अधिकारी नियमों में बताए तरीके से जाँच किए बिना दंड दे सकता है?
(a) When the member has been on leave for more than a month / जब सदस्य एक माह से ज़्यादा छुट्टी पर रहा हो
(b) When the member has refused to plead / जब सदस्य ने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया हो
(c) When the member has been transferred to another Battalion / जब सदस्य का दूसरी बटालियन में तबादला हो गया हो
(d) When the penalty is for conduct that has led to conviction on a criminal charge / जब दंड ऐसे आचरण के लिए हो जिस पर आपराधिक मामले में सज़ा हो चुकी है

65. If the competent authority finds that holding an enquiry is not reasonably practical, what must it do? / अगर सक्षम अधिकारी को लगे कि जाँच कराना सच में संभव नहीं है, तो उसे क्या करना होगा?
(a) Write down its reasons / अपने कारण लिखित में दर्ज करने होंगे
(b) Report the matter to the Central Government / मामला केंद्र सरकार को बताना होगा

(c) Publish the reasons in the Force Order / कारण फोर्स ऑर्डर में छापने होंगे
(d) Get the consent of the accused / आरोपी की सहमति लेनी होगी

66. When two or more members of the Force are involved in one case, what kind of proceeding can be ordered? / जब एक ही मामले में बल के दो या ज़्यादा सदस्य शामिल हों, तो किस तरह की कार्यवाही का आदेश दिया जा सकता है?
(a) A summary proceeding in the Orderly Room / ऑर्डरली रूम में संक्षिप्त कार्यवाही
(b) A common proceeding against all of them / सबके खिलाफ एक साझा कार्यवाही
(c) A Court of Inquiry for each of them / हर एक के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी
(d) A separate proceeding against each of them / हर एक के खिलाफ अलग कार्यवाही

67. Who can order a common disciplinary proceeding against two or more members of the Force? / बल के दो या ज़्यादा सदस्यों के खिलाफ साझा अनुशासनिक कार्यवाही का आदेश कौन दे सकता है?
(a) The Commandant of the Battalion in every case / हर मामले में बटालियन का कमांडेंट
(b) The Assistant Commandant in charge of the Detachment / टुकड़ी का प्रभारी सहायक कमांडेंट
(c) Any Gazetted Officer of the department / विभाग का कोई भी राजपत्रित अधिकारी
(d) The Inspector General, or any authority that can give the penalty of dismissal to all those members / महानिरीक्षक, या कोई भी अधिकारी जो उन सभी सदस्यों को बर्खास्तगी का दंड दे सकता हो

68. When the misconduct of a member on deputation is dealt with in a common proceeding, whose consent must be taken? / साझा कार्यवाही में प्रतिनियुक्ति पर आए सदस्य के कदाचार पर कार्रवाई करते समय किसकी सहमति लेनी होती है?
(a) The disciplinary authority that can give him the penalty of dismissal / उस अनुशासनिक अधिकारी की, जो उसे बर्खास्तगी का दंड दे सकता हो
(b) The State Government / राज्य सरकार की
(c) The Commandant of his parent unit / उसकी मूल यूनिट के कमांडेंट की
(d) The Director General / महानिदेशक की

69. When the Commandant is absent, who can suspend a Sub-Inspector? / कमांडेंट के न होने पर सब-इंस्पेक्टर को कौन निलंबित कर सकता है?
(a) The Quarter Master / क्वार्टर मास्टर
(b) The Subedar Major of the Battalion / बटालियन का सूबेदार मेजर
(c) The Assistant Commandant in charge at the Detachment or Headquarters / टुकड़ी या मुख्यालय का प्रभारी सहायक कमांडेंट
(d) The senior-most Sub-Inspector present / मौजूद सबसे सीनियर सब-इंस्पेक्टर

70. Who can suspend members of the Force of ranks other than Subedar (Inspector) and Sub-Inspector? / सूबेदार (इंस्पेक्टर) और सब-इंस्पेक्टर के अलावा दूसरी रैंक के सदस्यों को कौन निलंबित कर सकता है?
(a) Any Gazetted Officer of the department / विभाग का कोई भी राजपत्रित अधिकारी
(b) Only the Deputy Inspector General / केवल उप महानिरीक्षक
(c) Only the Commandant / केवल कमांडेंट
(d) Any Subordinate Officer / कोई भी अधीनस्थ अधिकारी

71. Does a member of the Force stop being a member because of his suspension? / क्या निलंबन के कारण कोई सदस्य बल का सदस्य नहीं रहता?
(a) Yes, if the suspension lasts more than one month / हाँ, अगर निलंबन एक माह से ज़्यादा चले
(b) Yes, he stops being a member at once / हाँ, वह तुरंत सदस्य नहीं रहता
(c) Yes, until the enquiry is closed / हाँ, जाँच बंद होने तक
(d) No, he remains a member of the Force / नहीं, वह बल का सदस्य बना रहता है

72. What happens to the powers of a member of the Force during his suspension? / निलंबन के दौरान बल के सदस्य के अधिकारों का क्या होता है?
(a) They are cancelled for ever / वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं
(b) They pass to his immediate senior / वे उसके ठीक ऊपर वाले अधिकारी को मिल जाते हैं
(c) They stay on hold / वे रुके रहते हैं
(d) They stay fully with him / वे पूरी तरह उसी के पास रहते हैं

73. What does a suspended member of the Force still have to follow? / निलंबित सदस्य पर फिर भी क्या लागू रहता है?
(a) Only the orders of the enquiry officer / केवल जाँच अधिकारी के आदेश
(b) The same duties, discipline and penalties as if he were on duty / वही ज़िम्मेदारियाँ, अनुशासन और दंड जो ड्यूटी पर होने पर होते

(c) No rule of the Force at all / बल का कोई भी नियम नहीं
(d) Only the rules of the civil courts / केवल दीवानी अदालतों के नियम

74. Where must a member of the Force stay during his suspension? / निलंबन के दौरान बल के सदस्य को कहाँ रहना होता है?
(a) At Battalion Headquarters or Detachment Headquarters, as ordered / आदेश के अनुसार बटालियन मुख्यालय या टुकड़ी मुख्यालय पर
(b) At any place he chooses / अपनी पसंद की किसी भी जगह
(c) At his home town / अपने घर वाले शहर में
(d) At the nearest police station / सबसे पास के पुलिस थाने में

75. How can a suspended member get permission to stay somewhere other than the Headquarters? / निलंबित सदस्य को मुख्यालय के अलावा कहीं और रहने की अनुमति कैसे मिल सकती है?
(a) The enquiry officer may give it orally / जाँच अधिकारी ज़ुबानी दे सकता है
(b) The Commandant or the suspending authority may give it in writing for special reasons / कमांडेंट या निलंबित करने वाला अधिकारी खास कारणों से लिखित में दे सकता है
(c) The Subedar Major may give it in writing / सूबेदार मेजर लिखित में दे सकता है
(d) Such permission can never be given / ऐसी अनुमति कभी नहीं दी जा सकती

76. With whom must a suspended member deposit his arms and belt? / निलंबित सदस्य को अपने हथियार और बेल्ट किसके पास जमा करने होते हैं?
(a) With the Orderly Room clerk / ऑर्डरली रूम क्लर्क के पास
(b) With the Company Havildar Major / कंपनी हवलदार मेजर के पास
(c) With the Quarter Master or the suspending authority / क्वार्टर मास्टर या निलंबित करने वाले अधिकारी के पास
(d) With the Kot Lance Naik / कोत लांस नायक के पास

77. On which duty must a suspended member not be put? / निलंबित सदस्य को किस ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा?
(a) Duty in the Quarter Master's store / क्वार्टर मास्टर के स्टोर में ड्यूटी
(b) Guard duty or any duty that needs use of his powers as a member of the Force / गार्ड ड्यूटी या ऐसी कोई ड्यूटी जिसमें बल के सदस्य वाले अधिकार इस्तेमाल करने पड़ें
(c) Fatigue duty in the lines / लाइन में फटीग ड्यूटी
(d) Duty in the Orderly Room / ऑर्डरली रूम में ड्यूटी

78. What must not be issued to a suspended member of the Force? / निलंबित सदस्य को क्या जारी नहीं किया जाएगा?
(a) Rations and clothing / राशन और कपड़े
(b) Arms and ammunition / हथियार और गोला-बारूद
(c) Bedding and kit / बिस्तर और किट
(d) Pay and allowances / वेतन और भत्ते

79. Which facility must be given to a suspended member of the Force? / निलंबित सदस्य को कौन सी सुविधा देना ज़रूरी है?
(a) Reasonable facilities to prepare his defence / अपना बचाव तैयार करने के लिए उचित सुविधाएँ
(b) Full pay and allowances / पूरा वेतन और भत्ते
(c) Leave for the whole period of suspension / निलंबन के पूरे समय की छुट्टी
(d) Free railway passes for his family / परिवार के लिए मुफ्त रेल पास

80. Through whom must every appeal be sent? / हर अपील किसके ज़रिए भेजी जानी चाहिए?
(a) Through the Commandant / कमांडेंट के ज़रिए
(b) Through the Subedar Major / सूबेदार मेजर के ज़रिए
(c) Through the Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट के ज़रिए
(d) Directly to the appellate authority / सीधे अपील सुनने वाले अधिकारी को

81. Can an appeal filed after the time limit be taken up at all? / क्या समय सीमा के बाद दाखिल अपील पर विचार हो सकता है?
(a) Yes, but only with the approval of the Central Government / हाँ, पर केवल केंद्र सरकार की मंज़ूरी से
(b) Yes, the appellate authority may accept it if it thinks fit / हाँ, अपील सुनने वाला अधिकारी ठीक समझे तो उस पर विचार कर सकता है
(c) No, it must always be rejected / नहीं, उसे हमेशा खारिज करना होगा
(d) Yes, but only if it is filed again within 30 days / हाँ, पर केवल तब जब वह 30 दिन में फिर से दाखिल हो

82. In which case can the Commandant hold back an appeal? / किस हालत में कमांडेंट अपील रोक सकता है?
(a) When the appellant is under suspension / जब अपील करने वाला निलंबित हो
(b) When the appellant is a Constable / जब अपील करने वाला कांस्टेबल हो
(c) When the appellant is on leave / जब अपील करने वाला छुट्टी पर हो
(d) When no appeal is allowed under these Rules / जब इन नियमों के तहत अपील होती ही न हो

83. Can the Commandant hold back a further appeal made after a final decision by the competent appellate authority? / सक्षम अपील अधिकारी के अंतिम फैसले के बाद की गई दूसरी अपील को क्या कमांडेंट रोक सकता है?
(a) Yes, but only with the orders of the Inspector General / हाँ, पर केवल महानिरीक्षक के आदेश से
(b) No, it must always be sent up / नहीं, उसे हमेशा आगे भेजना होगा
(c) Yes, if no new facts have come up that need a fresh look / हाँ, अगर दोबारा विचार लायक कोई नई बात सामने न आई हो
(d) No, the Commandant rejects such an appeal himself / नहीं, ऐसी अपील कमांडेंट खुद खारिज करता है

84. Can an appeal be made against an order holding back an appeal? / अपील रोकने के आदेश के खिलाफ क्या अपील हो सकती है?
(a) An appeal can be made to the Central Government / केंद्र सरकार को अपील हो सकती है
(b) No appeal can be made against such an order / ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होती
(c) An appeal can be made to the Director General / महानिदेशक को अपील हो सकती है
(d) An appeal can be made to the Inspector General / महानिरीक्षक को अपील हो सकती है

85. Under Rule 29, who can submit a petition for revision? / नियम 29 के तहत पुनरीक्षण याचिका कौन दे सकता है?
(a) Only a member who has been dismissed / केवल बर्खास्त किया गया सदस्य
(b) Only a member under suspension / केवल निलंबित सदस्य
(c) Any member who has been punished / कोई भी सदस्य जिसे दंड मिला हो
(d) A member of the Force whose appeal has been rejected by a competent authority / बल का वह सदस्य जिसकी अपील सक्षम अधिकारी ने खारिज कर दी हो

86. To whom is a petition for revision submitted? / पुनरीक्षण याचिका किसे दी जाती है?
(a) To the Commandant of the Battalion / बटालियन के कमांडेंट को
(b) To the same authority that rejected the appeal / उसी अधिकारी को जिसने अपील खारिज की
(c) To the next higher authority / अगले ऊपर वाले अधिकारी को
(d) To the Central Government in every case / हर मामले में केंद्र सरकार को

87. In which situations can the power of revision be used? / पुनरीक्षण का अधिकार किन हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है?
(a) When a serious irregularity has caused injustice or failure of justice, or when new evidence comes to light / जब किसी गंभीर गड़बड़ी से अन्याय हुआ हो या न्याय न मिला हो, या जब नया सबूत सामने आए
(b) When the punishing authority has been transferred / जब दंड देने वाले अधिकारी का तबादला हो गया हो
(c) When the member has completed his service / जब सदस्य अपनी सेवा पूरी कर चुका हो
(d) When the member feels the punishment is too heavy / जब सदस्य को दंड बहुत भारी लगे

88. While passing orders on a revision petition, what can the next higher authority do to the punishment? / पुनरीक्षण याचिका पर आदेश देते समय अगला ऊपर वाला अधिकारी दंड के साथ क्या कर सकता है?
(a) It may only cancel the punishment / वह दंड को केवल रद्द कर सकता है
(b) It may only confirm the punishment / वह दंड को केवल कायम रख सकता है
(c) It may increase the punishment if it thinks fit / वह ठीक समझे तो दंड बढ़ा सकता है
(d) It may only reduce the punishment / वह दंड को केवल कम कर सकता है

89. What must be done before the punishment of an accused is increased? / आरोपी का दंड बढ़ाने से पहले क्या करना ज़रूरी है?
(a) He must be given a chance to show why his punishment should not be increased /

उसे यह बताने का मौका देना होगा कि उसका दंड क्यों न बढ़ाया जाए

(b) He must be suspended from duty / उसे ड्यूटी से निलंबित करना होगा

(c) He must be brought before a criminal court / उसे आपराधिक अदालत में पेश करना होगा

(d) He must be sent for a new medical check-up / उसे नई डॉक्टरी जाँच के लिए भेजना होगा

90. If an order increasing punishment was passed by the Deputy Inspector General, to whom is the appeal made? / अगर दंड बढ़ाने का आदेश उप महानिरीक्षक ने दिया हो, तो अपील किसे की जाती है?

(a) To the Central Government / केंद्र सरकार को

(b) To the Commandant / कमांडेंट को

(c) To the Inspector General / महानिरीक्षक को

(d) To the Director General / महानिदेशक को

91. If an order increasing punishment was passed by the Inspector General, to whom is the appeal made? / अगर दंड बढ़ाने का आदेश महानिरीक्षक ने दिया हो, तो अपील किसे की जाती है?

(a) To the Director General / महानिदेशक को

(b) To the Central Government / केंद्र सरकार को

(c) To the Inspector General himself / खुद महानिरीक्षक को

(d) To the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक को

92. If an order increasing punishment was passed by the Director General, to whom is the appeal made? / अगर दंड बढ़ाने का आदेश महानिदेशक ने दिया हो, तो अपील किसे की जाती है?

(a) To the Director General himself / खुद महानिदेशक को

(b) To the Central Government / केंद्र सरकार को

(c) To the Inspector General / महानिरीक्षक को

(d) To the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक को

93. Which authorities can call for the records of any punishment given? / किसी भी दिए गए दंड का रिकॉर्ड कौन से अधिकारी मँगा सकते हैं?

(a) The Director General, Additional Director General, Inspector General or Deputy Inspector General / महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक

(b) The State Government alone / केवल राज्य सरकार

(c) The Commandant and the Assistant Commandant / कमांडेंट और सहायक कमांडेंट

(d) The Central Government alone / केवल केंद्र सरकार

94. Under Rule 30, who can submit a petition when he has a grievance? / नियम 30 के तहत शिकायत होने पर याचिका कौन दे सकता है?

(a) Only a Constable / केवल कांस्टेबल

(b) Only a Subordinate Officer / केवल अधीनस्थ अधिकारी

(c) Only a Gazetted Officer / केवल राजपत्रित अधिकारी

(d) A Subordinate Officer or anyone of a lower rank, including an enrolled follower / अधीनस्थ अधिकारी या उससे नीचे की किसी भी रैंक का सदस्य, भर्ती फॉलोअर समेत

95. To whom must a petition under Rule 30 be addressed? / नियम 30 की याचिका किसके नाम लिखी जानी चाहिए?

(a) The Central Government in every case / हर मामले में केंद्र सरकार

(b) The Commandant in every case / हर मामले में कमांडेंट

(c) The lowest-ranking officer who has the power to pass the order asked for / सबसे नीची रैंक का वह अधिकारी जो माँगा गया आदेश दे सकता हो

(d) The Director General in every case / हर मामले में महानिदेशक

96. Who are the members of the Court of Inquiry in a desertion case? / भगोड़ेपन के मामले की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में कौन होते हैं?

(a) The Commandant and two Subedars / कमांडेंट और दो सूबेदार

(b) Three Gazetted Officers only / केवल तीन राजपत्रित अधिकारी

(c) Two Gazetted Officers and one Constable / दो राजपत्रित अधिकारी और एक कांस्टेबल

(d) At least one Gazetted Officer and two other members who are superior or subordinate officers / कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी और दो अन्य सदस्य, जो वरिष्ठ या अधीनस्थ अधिकारी हों

97. Where does the Commandant publish the findings of the Court of Inquiry in a desertion case? / भगोड़ेपन के मामले में कमांडेंट कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के निष्कर्ष कहाँ छापता है?

(a) In the Force Order / फोर्स ऑर्डर में

(b) In the service roll of the absentee / गैर-हाज़िर सदस्य के सर्विस रोल में

(c) In the local newspaper / स्थानीय अखबार में

(d) In the Orderly Room Register / ऑर्डरली रूम रजिस्टर में

98. Does a member declared a deserter stop belonging to the Force because of it? / भगोड़ा घोषित होने से क्या सदस्य बल का हिस्सा नहीं रहता?
(a) Yes, after one year / हाँ, एक साल बाद
(b) Yes, after the Force Order is published / हाँ, फोर्स ऑर्डर छपने के बाद
(c) No, he does not stop belonging to the Force because of it / नहीं, इससे वह बल का हिस्सा बना रहता है
(d) Yes, at once / हाँ, तुरंत

99. Does declaring a member a deserter stop another man from being enlisted in his place? / क्या किसी को भगोड़ा घोषित करने से उसकी जगह दूसरे जवान की भर्ती रुक जाती है?
(a) Yes, until he is caught / हाँ, जब तक वह पकड़ा न जाए
(b) No, another man can be enlisted in his place / नहीं, उसकी जगह दूसरा जवान भर्ती किया जा सकता है
(c) Yes, for one year / हाँ, एक साल तक
(d) Yes, until the enquiry is over / हाँ, जाँच पूरी होने तक

100. Which cases should, as far as possible, be inquired into and settled in the Orderly Room? / कौन से मामले जहाँ तक हो सके ऑर्डरली रूम में ही जाँचे और निपटाए जाने चाहिए?
(a) Cases ending in dismissal from the Force / बल से बर्खास्तगी वाले मामले
(b) Reports of minor misconduct and indiscipline / छोटे-मोटे कदाचार और अनुशासनहीनता की रिपोर्ट
(c) Cases of desertion from the Force / बल से भगोड़ेपन के मामले
(d) Cases of loss of arms and ammunition / हथियार और गोला-बारूद खोने के मामले

101. On how many days a week are inquiries held in the Orderly Room? / ऑर्डरली रूम में जाँच सप्ताह में कितने दिन होती है?
(a) On two or more fixed days / दो या ज़्यादा तय दिनों पर
(b) On any day the accused chooses / आरोपी के चुने किसी भी दिन
(c) On one fixed day / एक तय दिन पर
(d) On every day of the week / सप्ताह के हर दिन

102. If an offence heard in the Orderly Room needs a heavier punishment than the officer can give, what does he do at Headquarters? / अगर ऑर्डरली रूम में सुने गए अपराध के लिए अधिकारी के अधिकार से भारी दंड चाहिए, तो मुख्यालय पर वह क्या करता है?
(a) He closes the case for lack of powers / अधिकार न होने के कारण मामला बंद कर देता है
(b) He has the accused brought before the Commandant / आरोपी को कमांडेंट के सामने पेश करवाता है
(c) He gives the highest punishment he can / अपने अधिकार का सबसे बड़ा दंड दे देता है
(d) He sends the accused to a criminal court / आरोपी को आपराधिक अदालत भेज देता है

103. If such an officer is away from Headquarters, what does he do with the case? / अगर ऐसा अधिकारी मुख्यालय से बाहर हो, तो वह मामले का क्या करता है?
(a) He sends the record with his recommendations to the Commandant for orders / रिकॉर्ड अपनी सिफारिश के साथ आदेश के लिए कमांडेंट को भेजता है
(b) He drops the case / मामला छोड़ देता है
(c) He keeps the case pending till he returns / लौटने तक मामला रोक कर रखता है
(d) He hands the case to the local police / मामला स्थानीय पुलिस को सौंप देता है

104. Where are the proceedings of inquiries held in the Orderly Room recorded? / ऑर्डरली रूम में हुई जाँच की कार्यवाही कहाँ दर्ज की जाती है?
(a) In the Orderly Room Register / ऑर्डरली रूम रजिस्टर में
(b) In the Character Roll / कैरेक्टर रोल में
(c) In the Force Order / फोर्स ऑर्डर में
(d) In the service roll of the accused / आरोपी के सर्विस रोल में

105. Where is a punishment, judicial or departmental, entered? / दंड चाहे अदालती हो या विभागीय, कहाँ दर्ज किया जाता है?
(a) In the Quarter Guard Register / क्वार्टर गार्ड रजिस्टर में
(b) In the Force Order only / केवल फोर्स ऑर्डर में
(c) In the service roll of the offender / अपराधी के सर्विस रोल में
(d) In the Orderly Room Register only / केवल ऑर्डरली रूम रजिस्टर में

106. On which cases must the Commandant send a brief to the Deputy Inspector General? / कमांडेंट को किन मामलों का संक्षिप्त ब्योरा उप महानिरीक्षक को भेजना होता है?

(a) Every case heard in the Orderly Room / हर वह मामला जो ऑर्डरली रूम में सुना गया हो
(b) Every case in which an appeal has been filed / हर वह मामला जिसमें अपील दाखिल हुई हो
(c) Every case in which a member of the Force has been convicted by a Court of Law / हर वह मामला जिसमें बल के सदस्य को अदालत ने सज़ा दी हो
(d) Every case in which a member has been suspended / हर वह मामला जिसमें सदस्य निलंबित हुआ हो

107. Who is the president of the Court of Inquiry set up for loss or damage to Government property? / सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए बैठाई गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का अध्यक्ष कौन होता है?
(a) The Commandant himself / खुद कमांडेंट
(b) The Subedar Major / सूबेदार मेजर
(c) The Quarter Master / क्वार्टर मास्टर
(d) The Assistant Commandant if available, otherwise the senior superior officer present / सहायक कमांडेंट अगर मौजूद हो, नहीं तो मौजूद सबसे वरिष्ठ अधिकारी

108. Who are the members of the Court of Inquiry set up for loss or damage to Government property? / सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए बैठाई गई कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के सदस्य कौन होते हैं?
(a) One Subedar and one Sub-Inspector / एक सूबेदार और एक सब-इंस्पेक्टर
(b) Two Gazetted Officers / दो राजपत्रित अधिकारी
(c) Two superior or subordinate officers / दो वरिष्ठ या अधीनस्थ अधिकारी
(d) Three Head Constables / तीन हेड कांस्टेबल

109. In which form does the Court of Inquiry give its finding on loss or damage to Government property? / सरकारी संपत्ति के नुकसान पर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी अपना निष्कर्ष किस फॉर्म में देती है?
(a) Form CRP-1 (b) Form C.A.C 10-C
(c) Form A.F.A. 2 (d) Form CRP-2

110. Through whom does the Commandant send the findings when the loss is above Rs. 2000? / नुकसान 2000 रुपये से ज़्यादा होने पर कमांडेंट निष्कर्ष किसके ज़रिए भेजता है?
(a) Through the Quarter Master / क्वार्टर मास्टर के ज़रिए
(b) Directly to the Central Government / सीधे केंद्र सरकार को
(c) Through the Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट के ज़रिए
(d) Through the Deputy Inspector General of Police / पुलिस उप महानिरीक्षक के ज़रिए

111. When the loss is above Rs. 2000, who can order it to be written off? / जब नुकसान 2000 रुपये से ज़्यादा हो, तो उसे बट्टे खाते में डालने का आदेश कौन दे सकता है?
(a) The State Government / राज्य सरकार
(b) The Commandant alone / केवल कमांडेंट
(c) The Deputy Inspector General alone / केवल उप महानिरीक्षक
(d) The Inspector General of Police or the Director General, as the case may be / मामले के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक

112. Which rules decide how far the higher authority can write off a loss above Rs. 2000? / 2000 रुपये से ऊपर का नुकसान बट्टे खाते में डालने का अधिकार ऊपर के अधिकारी को कहाँ तक है, यह कौन से नियम तय करते हैं?
(a) The Fundamental Rules / मूल नियम
(b) The Delegation of Financial Power rules or other orders issued from time to time / वित्तीय अधिकार सौंपने के नियम या समय-समय पर जारी दूसरे आदेश
(c) The Army Act, 1950 / सेना अधिनियम, 1950
(d) The Uttar Pradesh Police Manual / उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल

113. How is a loss of arms and ammunition of up to Rs. 100 dealt with? / हथियार और गोला-बारूद का 100 रुपये तक का नुकसान कैसे निपटाया जाता है?
(a) By the Deputy Inspector General on a written report / लिखित रिपोर्ट पर उप महानिरीक्षक द्वारा
(b) By a criminal court / आपराधिक अदालत द्वारा
(c) By the Commandant in the Orderly Room after a summary enquiry by a Gazetted Officer / राजपत्रित अधिकारी की संक्षिप्त जाँच के बाद कमांडेंट द्वारा ऑर्डरली रूम में
(d) By a full Court of Inquiry / पूरी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा

114. Who holds the summary enquiry in a small case of loss or damage to Government property? / सरकारी संपत्ति के नुकसान के छोटे मामले में संक्षिप्त जाँच कौन करता है?
(a) The Quarter Master Havildar / क्वार्टर मास्टर हवलदार
(b) The Company Commander / कंपनी कमांडर
(c) The Orderly Room clerk / ऑर्डरली रूम क्लर्क
(d) A Gazetted Officer / एक राजपत्रित अधिकारी

115. Under which law are trials held for the offences listed in Section 9 or Section 10? / धारा 9 या धारा 10 में दिए अपराधों का मुकदमा किस कानून के तहत चलता है?
(a) The Code of Criminal Procedure (now BNSS, 2023) / दंड प्रक्रिया संहिता (अब बीएनएसएस, 2023)
(b) The Army Act, 1950 / सेना अधिनियम, 1950
(c) The Police Act, 1861 / पुलिस अधिनियम, 1861
(d) The General Clauses Act, 1897 / साधारण खंड अधिनियम, 1897

116. Apart from a short sentence, on what other ground can a sentenced person be kept in the Quarter Guard? / छोटी सज़ा के अलावा और किस आधार पर सज़ा पाए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड में रखा जा सकता है?
(a) When the prisoner is a Constable / जब कैदी कांस्टेबल हो
(b) When the prisoner asks for it in writing / जब कैदी लिखकर ऐसा माँगे
(c) When the jail is full / जब जेल भरी हुई हो
(d) When the Commandant feels it is better because of difficulty in transport and escort to the nearest jail / जब कमांडेंट को लगे कि सबसे पास की जेल तक ले जाने और एस्कॉर्ट की दिक्कत के कारण ऐसा करना ठीक है

117. Under Rule 36A, which authority can direct that an offence be inquired into or tried by an ordinary criminal court? / नियम 36क के तहत कौन सा अधिकारी किसी अपराध की जाँच या मुकदमा साधारण आपराधिक अदालत से कराने का निर्देश दे सकता है?
(a) The Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक
(b) The Inspector General / महानिरीक्षक
(c) The Commandant / कमांडेंट
(d) The Assistant Commandant / सहायक कमांडेंट

118. Under which provision of the Act are the powers of a Magistrate given to a Commandant or an Assistant Commandant? / अधिनियम के किस प्रावधान के तहत कमांडेंट या सहायक कमांडेंट को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं?
(a) Sub-section (2) of Section 16 / धारा 16 की उपधारा (2)
(b) Section 9
(c) Section 13
(d) Sub-section (3) of Section 11 / धारा 11 की उपधारा (3)

119. Under Rule 36E, when can a Magistrate go ahead to inquire into or try a person subject to the Act? / नियम 36ङ के तहत मजिस्ट्रेट अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की जाँच या मुकदमा कब शुरू कर सकता है?
(a) When he thinks, for reasons written down, that he should do so, or when the Commandant asks him to / जब वह लिखित कारणों के साथ माने कि उसे ऐसा करना चाहिए, या जब कमांडेंट उससे ऐसा करने को कहे
(b) Whenever the offence is punishable with imprisonment / जब भी अपराध में कैद की सज़ा हो सकती हो
(c) Whenever the accused asks for a civil trial / जब भी आरोपी दीवानी मुकदमा माँगे
(d) Whenever the police file a charge sheet / जब भी पुलिस आरोप पत्र दाखिल करे

120. What must a Magistrate give to the Commandant before going ahead on his own opinion? / अपनी राय पर आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट को कमांडेंट को क्या देना होता है?
(a) A copy of the charge sheet / आरोप पत्र की कॉपी
(b) An oral message through the escort / एस्कॉर्ट के ज़रिए ज़ुबानी संदेश
(c) A summons for the accused / आरोपी के लिए समन
(d) A written notice / लिखित नोटिस

121. From which date is the Magistrate's waiting period counted? / मजिस्ट्रेट के रुकने का समय किस तारीख से गिना जाता है?
(a) From the date of the offence / अपराध की तारीख से
(b) From the date the notice is served on the Commandant / कमांडेंट को नोटिस दिए जाने की तारीख से
(c) From the date the accused is produced / आरोपी के पेश होने की तारीख से
(d) From the date the charge is framed / आरोप तय होने की तारीख से

122. If the accused has not been tried and no effective action has been taken, to whom does the Magistrate report the facts? / अगर आरोपी पर मुकदमा न चला हो और कोई असरदार कार्रवाई न हुई हो, तो मजिस्ट्रेट पूरी बात की रिपोर्ट किसे करता है?
(a) To the State Government / राज्य सरकार को
(b) To the Director General / महानिदेशक को
(c) To the Central Government / केंद्र सरकार को
(d) To the High Court / हाई कोर्ट को

123. Under Rule 36J, what must the Commandant do before handing over an accused to a Magistrate for trial? / नियम 36ज के तहत मुकदमे के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट को सौंपने से पहले कमांडेंट को क्या करना होता है?
(a) Hold a Court of Inquiry / कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठाना
(b) Get the orders of the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक का आदेश लेना
(c) Give written notice to the Magistrate concerned / संबंधित मजिस्ट्रेट को लिखित नोटिस देना
(d) Publish the fact in the Force Order / यह बात फोर्स ऑर्डर में छापना

124. How does the Commandant send a person handed over to a Magistrate for trial? / मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को सौंपे जाने वाले व्यक्ति को कमांडेंट कैसे भेजता है?
(a) Under proper escort / सही एस्कॉर्ट के साथ
(b) Under his own personal charge / अपनी निजी निगरानी में
(c) Without any escort / बिना किसी एस्कॉर्ट के
(d) Along with the record of the Orderly Room / ऑर्डरली रूम के रिकॉर्ड के साथ

125. Whose opinion decides that an offence by a person subject to the Act is to be tried by a Magistrate? / अधिनियम के अधीन व्यक्ति के अपराध का मुकदमा मजिस्ट्रेट चलाएगा, यह किसकी राय से तय होता है?
(a) The opinion of the State Government / राज्य सरकार की राय से
(b) The opinion of the Deputy Inspector General / उप महानिरीक्षक की राय से
(c) The opinion of the Magistrate / मजिस्ट्रेट की राय से
(d) The opinion of the Commandant / कमांडेंट की राय से

126. How long must the post of Deputy Inspector General stay vacant before the Commandant gets his punishing powers? / कमांडेंट को उप महानिरीक्षक के दंड अधिकार मिलने के लिए वह पद कितने समय तक खाली रहना चाहिए?
(a) More than one week at a time / एक बार में एक सप्ताह से ज़्यादा
(b) More than three months at a time / एक बार में तीन माह से ज़्यादा
(c) More than one month at a time / एक बार में एक माह से ज़्यादा
(d) More than six months at a time / एक बार में छह माह से ज़्यादा

Answer Key / उत्तर कुंजी

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1	B	2	D	3	B	4	B
5	A	6	B	7	D	8	A
9	C	10	A	11	C	12	B
13	C	14	B	15	D	16	B
17	B	18	A	19	C	20	D
21	A	22	A	23	D	24	C
25	D	26	D	27	B	28	C
29	A	30	D	31	A	32	A
33	B	34	C	35	C	36	B
37	A	38	D	39	C	40	B
41	A	42	D	43	A	44	C
45	D	46	A	47	D	48	C
49	B	50	C	51	D	52	D
53	B	54	A	55	D	56	C
57	D	58	B	59	B	60	D
61	B	62	B	63	C	64	D
65	A	66	B	67	D	68	A
69	C	70	A	71	D	72	C
73	B	74	A	75	B	76	C
77	B	78	B	79	A	80	A
81	B	82	D	83	C	84	B
85	D	86	C	87	A	88	C

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
89	A	90	C	91	A	92	B
93	A	94	D	95	C	96	D
97	A	98	C	99	B	100	B
101	A	102	B	103	A	104	A
105	C	106	C	107	D	108	C
109	C	110	D	111	D	112	B
113	C	114	D	115	A	116	D
117	C	118	A	119	A	120	D
121	B	122	A	123	C	124	A
125	D	126	C				

TotalExam™